ले ज गुरमीत सिंह
पीवीएसएम, यूवाईएसएम, एवीएसएम, वीएसएम (से नि)
राज्यपाल / कुलाधिपति,
कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल।

सत्यमेव जयते

राजभवन,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

सं0 : /जी0एस0(शिक्षा)/C3-7(V)/2019
देहरादून : दिनांक 15 अप्रैल, 2023

: आदेश :

प्रो0 एन0के0 जोशी, कुलपति, कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल का श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय के कुलपति पद पर चयन होने के फलस्वरुप उनके द्वारा पत्र दिनांक 12 अप्रैल, 2023 के माध्यम से कुलपति, कुमाऊँ विश्वविद्यालय के पद से दिया गया उनका त्यागपत्र एतद्द्वारा स्वीकार किया जाता है।

उपरोक्तानुसार कुलपति का पद रिक्त हो जाने के फलस्वरूप विश्वविद्यालय के शैक्षणिक एवं अन्य कार्यों के सुचारू संचालन के दृष्टिगत उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम–1973 (यथाप्रवृत्त उत्तराखण्ड राज्य) की धारा–12(10) में विद्यमान अन्तरिम व्यवस्था के अन्तर्गत **डा0 मनमोहन सिंह चौहान, कुलपति–गो0ब0 पंत कृषि एवं प्रौ0 विश्वविद्यालय, पंतनगर** को दिनांक 15 अप्रैल, 2023 के अपराह्न से अग्रेत्तर छः माह, अग्रिम आदेशों अथवा नियमित कुलपति क्री नियुक्ति होने तक, जो भी पहले हो, तक के लिए कुलपति–कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल के पद का अतिरिक्त दायित्व प्रदान किया जाता है।

(ले ज गुरमीत सिंह)
कुलाधिपति।

संख्या : 120 (1)/जी0एस0(शिक्षा)/C3-7(V)/2019 तददिनांकित।

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित :

1. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन।
4. सचिव, कृषि एवं कृषक कल्याण, उत्तराखण्ड शासन।
4. महालेखाकार, उत्तराखण्ड देहरादून।
5. प्रो0 एन0के0 जोशी, कुलपति–श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय, बादशाहीथौल, टिहरी गढ़वाल।
6. डा0 मनमोहन सिंह चौहान, कुलपति–गो0ब0 पंत कृषि एवं प्रौ0 विश्वविद्यालय, पंतनगर।
7. निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी (नैनीताल)।
8. कुलसचिव, कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल।
9. कम्प्यूटर प्रकोष्ठ / गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(रविनाथ रामन)
कुलाधिपति के सचिव।